भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 957
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटरों का विस्तार

957. श्रीमती शांभवी
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं को मानसिक आघात से उबरने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए, जिलों में आने वाले मामलों की संख्या में भिन्नता के आधार पर बढ़ाए गए कार्मिक मानदंडों के साथ 'वन स्टॉप सेंटर' के दायरे का विस्तार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पीड़ितों को अलग-अलग स्थानों पर आपबीती को बार-बार दोहराने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए इन केंद्रों में पुलिसकर्मियों और कानूनी सहायता सेवाओं को एकीकृत करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या रोजगार के लिए स्वतंत्र रूप से प्रवास करने वाली महिलाओं को अस्थायी आवास और शहर की प्रारंभिक जानकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी संचरित प्रवास सहायता कार्य का प्रायोगिक आधार पर संचालन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) महिलाओं को केंद्रों से जाने के बाद आजीविका संपर्कों और निरंतर निगरानी सहित व्यापक संकट-पश्चात् सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित पुनर्वास रूपरेखाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) 'मिशन शक्ति' रूपरेखा के अंतर्गत, संशोधित 'वन स्टॉप सेंटर' संरचना किस प्रकार संकट-प्रतिक्रिया संस्थानों को सुरक्षित प्रवास और कार्यबल में निरंतर भागीदारी का समर्थन करने वाले निवारक मंचों में परिवर्तित करती है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड़): वन स्टॉप सेंटर व्यापक मिशन शक्ति के तहत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त

महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत और तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान करता है। अब तक देश भर में **1,033 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से देश भर में 985 वन स्टॉप सेंटर कार्यशील हैं और इसकी स्थापना के बाद से यानी 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक, देश में 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार स्थानीय जरूरतों और परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर स्टाफिंग संरचना में लचीलेपन के प्रावधान के साथ प्रत्येक ओएससी में 1 केंद्र प्रशासक, 2 केस वर्कर्स, 1 मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्शदाता, 1 अर्ध विधिक कार्मिक/वकील, 1 अर्ध चिकित्सा कार्मिक सहित 13 मानव संसाधनों की नियुक्ति/भर्ती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ओएससी योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा हाता है।

समन्वय को मजबूत करने और सहायता सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, ओएससी को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है, और अब तक, 657 ओएससी को एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण के माध्यम से, महिलाओं को समय पर और समन्वित तरीके से उपयुक्त सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और अन्य संगत सेवा वितरण तंत्रों के साथ एकीकृत किया गया है ताकि आपातकालीन प्रतिक्रिया और प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय को सुविधाजनक बनाया जा सके। साथ ही दीर्घकालिक संस्थागत सहायता, पुनर्वास और सुरक्षित आवास की आवश्यकता वाली महिलाओं को संबंधित सेवाओं से जोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए ओएससी को शक्ति सदन के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे मिशन शक्ति ढांचे के तहत देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

व्यापक 'मिशन शक्ति' के तहत, पूर्ववर्ती 'स्वाधार गृह' - कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए गृह और 'उज्ज्वला'- मानव दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए गृह की पूर्ववर्ती योजनाओं का विलय कर दिया गया है और अब इन्हें 'शक्ति सदन योजना' के रूप में जाना जाता है, जो मानव दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटपूर्ण स्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।

शक्ति सदन योजना के तहत शक्ति सदन के निवासियों को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं। निवासियों को संबंधित विभागों के साथ तालमेल में व्यावसायिक प्रशिक्षण, बैंक खाते खोलने की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा लाभ इत्यादि भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, कार्यान्वयन

संगठन द्वारा श्रम मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) के प्रशिक्षण भागीदार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास कक्षाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। प्रशिक्षण और परीक्षा शुल्क, यदि केंद्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के तहत प्रदान नहीं किया जाता है, तो प्रशिक्षण के सफल समापन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि निवासी लघु उद्योग/व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सिडबी, मुद्रा और केंद्र/राज्य सरकार की अन्य प्रासंगिक योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा, व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। इस योजना के तहत, कामकाजी महिलाओं और उन महिलाओं के लिए किराए के परिसर में सखी निवास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो नौकरी के लिए प्रशिक्षण के अधीन हैं। सखी निवास के निवासियों के बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का प्रावधान इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान में, देश भर में 575 सखी निवास कार्यशील हैं।

.*****